कार्यालय: जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

आवश्यक सूचना

विभागीय पत्रांक 410 दिनांक 09-02-2018 में निहित आदेश के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिले में 393 प्रारम्भिक विद्यालयों का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन के फलस्वरूप कई विद्यालयों में छात्र अनुपात में शिक्षक अधिक हो गये थे तथा कई विद्यालयों में छात्र अनुपात में शिक्षक कम थे। कई विद्यालयों में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप विषयवार शिक्षक भी नहीं थे।

विभागीय पत्रांक 232/PS Cell दिनांक 01-06-2018 एवं 266 दिनांक 18-06-2018 के द्वारा निर्गत दिशानिदेश के आलोक में दिनांक 16-07-2018 को उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्थापना समिति की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार पुनर्गठित विद्यालयों में 436 शिक्षक/ पारा शिक्षक को अतिरिक्त (Surplus) शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया तथा 340 विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप विषयवार रिक्ति भी चिन्हित की गयी। विद्यालयवार चिन्हित रिक्ति एवं अतिरिक्त शिक्षक की वरीयता सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। अतिरिक्त शिक्षकों का पदस्थापन संलग्न सूची में रिक्ति के विरूद्ध योग्यता के अनुसार की जानी है। पदस्थापन का कार्य समिति द्वारा गठित चार सदस्यीय दल जिसमें अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था), पूर्वी सिंहभूम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, नजारत उप-समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम सम्मिलित हैं की देख-रेख में सम्पन्न होगी। इसके लिए कॉउँसिलिंग की तिथि निम्नवत होगी :-

दिनांक	स्थान	प्रतिभागी अतिरिक्त शिक्षकों की कोटि	प्रतिभागियों की संख्या
24-07-2018 पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक	उत्कल समाज मध्य विद्यालय, गोलमूरी, जमशेदपुर	सभी सरकारी शिक्षक	198
25-07-2018 पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक	उत्कल समाज मध्य विद्यालय, गोलमूरी, जमशेदपुर	धालभूम अनुमण्डल के सभी पारा शिक्षक	86
26-07-2018 पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक	जे.सी. उच्च विद्यालय, घाटशिला	घाटशिला अनुमण्डल के सभी पारा शिक्षक	152

सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/ क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कॉउँसिलिंग की तिथि एवं समय की सूचना संबंधित सभी अतिरिक्त शिक्षक/ पारा शिक्षक को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पर कोई शिक्षक/ पारा शिक्षक अनुपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उनका पदस्थापन जिला/ प्रखण्ड में शेष रिक्तियों के विरूद्ध कर दिया जायगा। अभ्यर्थी यदि चाहते हैं कि वरीयता के अनुसार विकल्प चुनने का मौका उन्हें मिले ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि वे ससमय कॉउँसिलिंग में उपस्थित रहें। कॉउँसिलिंग तिथि को सभी संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी शिविर में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

अनुलग्नक : यथोक्त।

18/7/18

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

18/7/18

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक 1523 जमशेदपुर/ दिनांक 19.07.2018

प्रतिलिपि: अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था), पूर्वी सिंहभूम/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम / नजारत उप-समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम/ संबंधित सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी / सचिव/ प्राचार्य, उत्कल समाज मध्य विद्यालय, गोलमूरी/ सचिव/ प्राचार्य, जे.सी. उच्च विद्यालय, घाटशिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव/ प्राचार्य, उत्कल समाज मध्य विद्यालय, गोलमूरी एवं सचिव/ प्राचार्य, जे.सी. उच्च विद्यालय, घाटशिला से अनुरोध है कि उक्त तिथि को विद्यालय का हॉल आरक्षित करने के कृपा की जाय।

18/7/18

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

18/7/18

ज्ञापांक 1523 जमशेदपुर/ दिनांक 19.07.2018

प्रतिलिपि: उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ समर्पित।

18/7/18

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

18/7/18

Scanned by CamScanner